



भारत सरकार

**GOVERNMENT OF INDIA**

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

**CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)**

ट्रैक्टर नगर, बुद्धी (म.प्र.) 466&amp;445

TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466-445

संख्या : 17-3/2019 इस्टेट

दिनांक : 19.10.2020

**निविदा सूचना**

संस्थान में निम्नलिखित हाउस किपिंग कार्य के लिए निविदा आमत्रित किए जाते हैं इच्छुक व्यक्ति

दिनांक 29.10.2020 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्रं.	हाउस किपिंग कार्य	दर
1.	गेस्ट हाउस के सभी कमरे, खिड़की, दरवाजे, टेबिल, 5 बाथरूम को तथा रोड जिसे दिन में दो बार सफाई करनी होगी तथा रोड भी सुबह एवं शाम साफ करना होगा।	शासकीय दर के अनुसार
2.	कार्यालय में निदेशक महोदय के ॲफिस की खिड़की, दरवाजे, टेबिल, की सफाई, सभी अधिकारियों के कमरों एवं सभी कर्मचारियों के कमरों की साफ सफाई तथा 5 टायलेट है। उसकी सफाई दिन में 2 बार तथा कोरिडोर में दिन में 2 बार पोछा लगाना। तथा सामने के एरिया में 2 बार सफाई करना।	( कलेक्टर दर से म.प्र शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार )
3.	डिसपेन्सरी में खिड़की, दरवाजे, टेबिल, की सफाई, टायलेट एवं उसके आस पास के एरिया की सफाई करना।	
4.	ॲफिस से लेकर स्टोर डीजल पम्प सेट स्टोर कारपेंटरी इत्यादि की सफाई करना	
5.	परीक्षण अनुभाग के सभी कर्मचारियों के कमरों सभी प्रयोग शाला के खिड़की, दरवाजे, टेबिल एवं सभी कर्मचारियों के कमरों की सफाई करना। जिसमें 4 टायलेट हैं, उसकी दिन में 2 बार सफाई करना। एवं पोछा लगाना। प्रतिदिन आधा किलोमीटर एवं एक किलोमीटर ट्रैक की सफाई करना।	
6.	सप्ताह में एक दिन कॉलोनी के रोडों की सफाई करना।	
7.	सभी प्रशिक्षण कक्ष, लैब की सफाई, सभी मशीनरी शैड एवं पुस्कलय, विद्युत कक्षए सभा भवन के पास स्थित शोचालय की साफ सफाई, सभी मशीनरी शैड एवं ट्रैक्टर शैड की साफ सफाई प्रतिदिन करना।	
8.	कालोनी गेट से मेन गेट एवं आडोटोरियम हाल की साफ सफाई प्रतिदिन, आडोटोरियम हाल की शोचालय की साफ सफाई प्रतिदिन, रिपेयरिंग एवं वेल्डिंग कक्ष की सफाई प्रतिदिन पशिक्षण परिसर में झाड़ू लगाना।	

**शर्त :-**

- सफाई कार्य के लिए सामन संस्थान द्वारा दिया जाएगा।
- संस्थान द्वारा कर्मी के कार्य की दर प्रति माह के अनुसार दी जायेगी।

3. कर्मी को कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए ।
4. कर्मी की उम्र लगभग 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।
5. कर्मी शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए ।
6. ठेके की अवधि समाप्ति के बाद कर्मी को या ठेकेदार की ओर से किसी प्रकार की नियुक्ति का दावा पाने का अधिकार नहीं होगा ।
7. इयूटी करते समय यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी को क्षति पहुचती है तो सुरक्षा कर्मी अथवा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के लिए यह संस्थान / संस्थान को कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा ।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास होगा
9. यदि आवश्यक तुआ तो कार्य की गुणवत्ता के आधार पर निदेशक ठेके की अवधि को कम या अधिक भी कर सकते हैं
10. ठेकेदार अथवा उसके कर्मी इयूटी के दौरान चोरी की वारदात होती है तो उसकी भरपाई भी ठेकेदार को करनी होगी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा ।
11. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी कर्मी का पूर्ण विवरण बायोडाटा ठेके से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।
12. ठेकेदार ऐसे कर्मियों को ही लगाया जाएगा जिनका चरित्र ठीक हो और अपराधी प्रकृति न हो और साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि लगाए जाने वाले कर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दिचारधीन नहीं हो ।
13. इनकम टैक्स / सर्विस इत्यादि नियमों का स्वयं ठेकेदार को पालन करना होगा ।
14. अस संबंधी नियम निविदा दाता स्वयं पालन करना होगा ।
15. निदेशक महोदय को अधिकार सुरक्षित रहेगा कि किसी भी समय नियुक्त बिना सूचना के रद्द किया जा सकता है



कृते निदेशक

**प्रतिलिपि :-**

श्री विकास पाणीगाहीं , उपकरण अभियंता - संस्थान के बेबसाइट पर अपलोड करके संबंधित अनुभाग को सूचित करे ।